### न्यायालय: -श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक <u>मजिस्ट्रेट, अंजड जिला –बडवानी (म.प्र.)</u>

#### आपराधिक प्रकरण कमांक 505/2010 संस्थित दिनांक-15.12.2010

म.प्र. राज्य द्वारा-आरक्षी केन्द्र ठीकरी,जिला बडवानी

...... अभियोगी

#### वि रू द्ध

एहमद पिता लल्लू मुसलमान उम्र 30 वर्ष, निवासी टिगडीखेडा थाना वल्ल्भगढ, जिला फरीदाबाद हरियाणा ...... अभियुक्त

राज्य द्वारा	_	श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	_	श्री विशाल कर्मा अधिवक्ता।

# --:: निर्णय ::--(आज दिनांक 13/02/2017 को घोषित)

- आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 172/10 के आधार पर दिनांक 12.10.10 को शाम 05:00 बजे स्थान जायसवाल ढाबा के सामने ए.बी. रोड ठान में लोकमार्ग पर वाहन द्रक क्रमांक एम.एच. 04 डी.के. 3750 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर औंकार पिता फत्तू का जीवन संकटापन्न करने तथा उसे टक्कर मारकर गंभीर उपहतियां कारित करने के लिये भा.द.वि. की धारा–279, 338 का आरोप हैं ।
- प्ररकण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया 02. था।
- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.10.10 को थाना ठीकरी के प्रधान आरक्षक रामकिशोर चौहान को पुलिस चौकी जुलवानिया से सूचना प्राप्त हुई थी। जायसवाल ढ़ाबे के सामने ए.बी. रोड पर वाहन द्रक क्रमांक एम.एच. 04 डी.के. 3750 के चालक ने उक्त द्रक लापरवाहीपूर्वक चलाकर औंकार को टक्कर मारी जिसकी जॉच उपरांत उक्त द्रक चालक के विरूद्ध अपराध कं. 172/10 दर्ज कर फरियादी एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। घटना स्थल से उक्त द्रक जप्त किया। वाहन की मेकेनिकल जॉच कराई। आरोपी को गिरफतार कर उससे उक्त द्रक के दस्तावेज और उसकी चालन अनुज्ञप्ति जप्त की तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
- उक्त अनुसार आरोपी का भादवि की धारा–279, 338 का अभियोग लगाये जाने पर आरोपी ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उसका अभिवाक लिखा

गया। दप्रस की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताया गया किन्तु बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया ।

#### 05. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते है:-

क.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या आरोपी ने दिनांक 12.10.10 को शाम 05:00 बजे स्थान जायसवाल ढ़ाबा के सामने ए.बी. रोड़ ठान में लोकमार्ग पर वाहन द्रक क्रमांक एम.एच. 04 डी.के. 3750 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर औंकार पिता फत्तु का जीवन संकटापन्न किया?
2	क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर वाहन द्रक क्रमांक एम.एच. 04 डी.के. 3750 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर औंकार पिता फत्तु उसे टक्कर मारकर गंभीर उपहतियां कारित की?

# -:<u>सकारण निष्कर्षः-</u>

## विचारणीय प्रश्न कमांक 1,2 का निराकरण :-

- 06. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में औंकार (असा.5) का कथन है कि वह आरोपी को नहीं जानता। वह लगभग 5—6 वर्ष पूर्व वह अपने भाई ग्यारसीलाल के साथ ग्राम रेलवा जाने के लिए फाटे पर रिक्शे से उतरे थे, तथी ठीकरी की ओर से द्रक के चालक ने द्रक को तेज गित एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर एवं मुंह मे चोटी आई तथा अस्थिमंग हुआ था। उसका ईलाज ठीकरी के सरकारी अस्पताल में तथा बड़वानी में हुआ था। टक्कर मारने वाला द्रक का चालक द्रक को थोडी दुर तक ले गया और उसके बाद द्रक छोड़कर भाग गया। ग्यारसीलाल (असा.4) ने द्रक दुर्घटना में उसके भाई औंकार को चोटे आने के संबंध में कथन किये हैं। इस साक्षी का भी कथन है कि द्रक चालक द्रक को छोड़कर भाग गया।
- 07. सतीष जायसवाल (असा.1) का कथन है कि लगभग 4 वर्ष पूर्व दोपहर के समय एक द्रक ने 2 व्यक्तियों को टक्कर मार दी उसने 2 घायल व्यक्तियों को टैम्पों से अस्पताल पहूंचाया। द्रक चालक द्रक को जुलवानिया की ओर लेकर चला गया। उसने द्रक और उसके नंबर को नहीं देखा था। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पुलिस को प्रपी—1 के कथन में द्रक का क्रमांक एम.एच. 04 डी.के. 3750 बताया था। साक्षी ने इस सूझाव से भी इंकार किया कि पुलिस ने उक्त द्रक उसके सामने प्रपी—2 के अनुसार जप्त किया था।
- 08. डॉ. मनोज कदम (असा.2) ने दिनांक 12.10.10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जुलवानिया में सैनिक शांतिलाल द्वारा लाने पर आहत औंकर पिता फत्तु उम्र 60 वर्ष

का मेडिकल परीक्षण किया था, और उसे सख्त एवं बोथरी वस्तु से 3 चोटे होना पाई थी तथा उसने दुर्घटना में घायल होने की सूचना पुलिस चौकी पर दी थी, तथा औंकार की एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर मेक्जिला बोन में अस्थिभंग होना पाया गया। साक्षी ने प्रपी— 3, 4 ,5 में दस्तावेज भी प्रमाणित किये है। डॉ. अरविंद (असा.3) ने दिनांक 18.10.10 को जिला चिकित्सालय बड़वानी में आहत औकर पिता फत्तु के उपरे और निचले जबड़े के एक्सरे का परीक्षण करने पर उसमें अस्थिभंग चोट होना पाया तथा अपना परीक्षण प्रतिवेदन प्रपी—6 भी प्रमाणित किया।

- 09. उक्त साक्षीयों के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया। प्रकरण के शेष साक्षीयों को समंस/जमानती/गिरफ्तारी वारंट पुलिस अधीक्षक बड़वानी के माध्यम से भेजे जाने पर भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये इस कारण प्रकरण प्राना होने के आधार पर साक्ष्य समाप्त की गई।
- 10. परीक्षित किसी भी साक्षी ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी द्व ारा उक्त द्रक कमांक एम.एच. 04 डी.के. 3750 लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षपूर्ण तिरके से चलांकर आहत औकार को घोर उपहित कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये और चश्मदीद साक्षी ने भी वाहन का नंबर तक नहीं बताया ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता और उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया।
- 11. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूंचता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपी के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पुर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी एहमद पिता लल्लू मुसलमान उम्र 30 वर्ष, निवासी टिगड़ीखेड़ा थाना वल्ल्भगढ, जिला फरीदाबाद हरियाणा को भा.द.वि. की धारा—279, 338 के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है।
- 12. आरोपी के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।
- **13.** आरोपी का द.प्र.सं. की धारा—428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण—पत्र बनाया जाए ।
- 14. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन द्रक क्रमांक एम.एच. 04 डी.के. 3750 उसके स्वामी को पूर्व से सुपुर्दगी पर दिया गया है, अतः सुपुर्दगीनामा बाद अपील अविध निरस्त समझा जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित किया ।

(श्रीमती वंदना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बडवानी म.प्र. (श्रीमती वंदना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड. जिला बडवानी म.प्र.